पत्रांक: आर.जी.एम.-मैत्री/ यू.पी.एल.डी.बी./2025

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु स्वरोजगारी मैत्री की स्थापना।

नियम–शर्ते निम्न प्रकार है :–

1:– योग्यता

(क) **शैक्षिक योग्यता** : शैक्षिक योग्यता में इण्टर (जीव विज्ञान) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) आवेदक चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत का निवासी हो एवं उसके पास स्वयं का दो पहिया वाहन हो।

(ग) पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य हो। पशुपालक के द्वार पर पहुँच कर सेवा कर सके।

(घ) राजकीय चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र को भौतिक सत्यापन के दौरान मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा कराते हुए पोर्टल पर चयन हेतु अपलोड करना अनिवार्य है। वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड आदि अन्य फोटो युक्त आई.डी. जो निर्वाचन आयोग से अनुमन्य है अपलोड करना अनिवार्य है।

(च) मैत्री चयन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में समानता हो तो प्रथम दृष्टया प्रवासी श्रमिकों/पशु सखी/पैरावेट (जो वर्तमान में पशुचिकित्साधिकारी की देख–रेख में कार्य कर रहा हो) अभ्यर्थी को, तत्पश्चात् अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2:– आवेदक की आयु दिनांक 01.09.2025 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो।

3:– आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि :– 13.09.2025 रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित है** (जिसे यथा आवश्यकता दिनांक 17.09.2025, रात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है)।

4:– यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को 30 दिनों का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण (कार्य दिवस) एवं 60 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण–पत्र, भारत पशुधन आई0डी0, प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी आई0डी0 (Identity Card), भारत पशुधन आई0डी0 एवं उपकरण (ए.आई. किट, कास्ट्रेटर, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–3 ली0) इत्यादि उपलब्ध कराये जायेगें।

5:– समस्त मैत्री को स्थापना उपरान्त उनसे संबंधित ए.आई. केन्द्र पर भारत पशुधन एप पर अंकित कार्यों के आधार पर एवं कार्य के अनुसार कृत्रिम गर्भाधान संबंधी समस्त संसाधन ससमय उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही दिये गये इन संसाधनों का मुख्यालय द्वारा अनुश्रवण भी किया जायेगा।

6:– जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी के चयन से पूर्व भौतिक ब्लाकवार अभ्यर्थी की उपलब्धता/आवश्यकता का आकलन कर उस आधार पर ही अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जाये, जिसकी सूचना आनलाईन मैत्री पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर एक्सल (Excel soft copy) में अपलोड करें एवं सूचना की पी.डी.एफ. परिषद के ई–मेलः upldbte@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

7:– **चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरान्त संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेगें। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा नही करेगें।**

8:– मैत्री का कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बन्द कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में योजनान्तर्गत व्यय की गई धनराशि तथा समस्त उपकरण सही अवस्था में वापस करने के लिये वचनबद्ध रहेंगे।

9:– मुख्यालय द्वारा जनपद स्तर पर उनके द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा की जायेगी एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान की मानक संचालन प्रकिया (SOP) के सापेक्ष कार्य न करने की दशा में मैत्री को उपलब्ध करायी गयी भारत पशुधन आई0डी0 से वंचित कर दिया जायेगा एवं उनके कार्य के सापेक्ष प्रोत्साहन राशि हेतु उनके द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

10:– चयन के उपरान्त आवेदनकर्ता को सक्षम स्तर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

11:– मैत्री द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान कार्य को भारत पशुधन पर अंकन के उपरान्त डिजिटल डाटा को जनपदीय क्षेत्र में परिषद द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

12:– आवश्यक सूचना/अद्यतन जानकारी इस पोर्टल यू.आर.एल. -https://maitriupldb.in पर ही उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में पृथक से कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी।

नोट :– उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपदवार चयन किये जाने वाले स्वरोजगारी मैत्री (मल्टी परपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) की संख्या पोर्टल पर उपलब्ध है।